

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-12  
संख्या-1164/छ:-पु-12-16-4(13)डी/16  
लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2016

अधिसूचना

चूँकि राज्यपाल की राय है कि, जनपद मथुरा में उद्यान विभाग के स्वामित्व वाली जवाहरबाग की भूमि पर स्वाधीन भारत विधिक सत्यागृह/स्वाधीन भारत सुभाष सेना के बैनर तले अवैध अधिक्रमण के सम्बन्ध में एक जाँच की जानी आवश्यक है और बाबा जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं स्वाधीन करेन्सी लागू किये जाने तथा एक रूपये में 60 लीटर डीजल दिये जाने आदि को लेकर धरना देने वाले और अधिक्रमणकारी मांग कर रहे थे, में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या-28807/2015 विजय पाल सिंह तोमर बनाम उ0प्र0 राज्य आदि में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2015 एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या-24622/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 के अनुसरण में जवाहरबाग के परिसर को धरना देने वालों और अधिक्रमणकारियों से खाली कराये जाने के लिये दिनांक 2 जून, 2016 को पुलिस बल / प्रशासनिक अधिकारी आये थे। पुलिस बल / प्रशासनिक अधिकारियों पर धरना देने वालों/अधिक्रमणकारियों द्वारा पथराव एवं अंधाधुंध फायरिंग की गयी जिसमें श्री संतोष यादव, थानाध्यक्ष, थाना-फरह, मथुरा की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी तथा लाठी-डण्डों से बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण श्री मुकल द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक(नगर), मथुरा गम्भीर रूप से घायल हुए, जिनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। कतिपय अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक कर्मी घायल हुए तथा कतिपय धरना देने वाले/अधिक्रमणकारी भी मृत एवं घायल हुये हैं। इन तथ्यों के दृष्टिगत इस पूरे प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों एवं कारणों के सम्बन्ध में जांच करना आवश्यक है।


2- अतएव, अब जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60, सन् 1952) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल श्री मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा, मा0 न्यायमूर्ति(सेवानिवृत्त), मकान संख्या-178/152, बद्रीनाथ रोड, गोलागंज (क्रिश्चियन डिग्री कालेज के पीछे), लखनऊ को एकल सदस्यीय जाँच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और कैम्प कार्यालय, मथुरा में होगा।

3- आयोग दिनांक 2 जून, 2016 को घटित उक्त घटना की जाँच करेगा और राज्य सरकार को निम्नलिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट देगा:-

- (क) उन कारणों एवं परिस्थितियों को अभिनिश्चित करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई ;
- (ख) पुलिस एवं प्रशासन, मथुरा द्वारा कार्ययोजना/ रणनीति की रूप रेखा में जवाहर बाग, मथुरा को अधिक्रमणकारियों से रिक्त कराये जाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना को रोकने से सम्बन्धित सभी पहलुओं के समावेश को अभिनिश्चित करना;
- (ग) प्रकरण के सम्बन्ध में अभिसूचना तंत्र द्वारा दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जाँच करना;
- (घ) जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच करना;
- (ङ) पर्यवेक्षणीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच करना;
- (च) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देना;

4- राज्यपाल की यह भी राय है कि प्रश्नगत जाँच की प्रकृति और प्रकरण से सम्बन्धित अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, अतएव उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त धारा-5 की उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के उपबन्ध इस आयोग पर लागू होंगे।

5- आयोग इस अधिसूचना के निर्गत होने के दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर जाँच पूरी करेगा। इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के आदेश पर होगा।

आज्ञा से,  
  
(देबाशीष पण्डा)  
प्रमुख सचिव

**संख्या-1164(1)/छ:-पु-12-16-4(13)डी/16**


प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, लखनऊ को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियम आदेश के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ प्रेषित। अधिसूचना की छपी हुई 150 प्रतियाँ गृह (पुलिस) अनुभाग-12 को तुरन्त भेज दी जाय।

आज्ञा से,  
  
(मणि प्रसाद मिश्र)  
सचिव

**संख्या-1164(2)/छ:-पु-12-16-4(13)डी/16**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा, मा0 न्यायमूर्ति(सेवानिवृत्त), मकान संख्या-178/152, बट्टीनाथ रोड, गोलागंज (क्रिश्चियन डिग्री कालेज के पीछे), लखनऊ।
2. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. आयुक्त, अलीगढ़/आगरा मण्डल।
7. पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन, आगरा।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
9. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
10. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
11. न्याय (लेखा) अनुभाग।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
13. ज्येष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
14. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5।
15. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,  
  
(मणि प्रसाद मिश्र)  
सचिव